नरवाई प्रबन्धन

गेहूँ फसल की कटाई के पश्चात अवशेष (नरवाई) में कृषकों द्वारा आग लगा दी जाती है। जिससे मृदा में उपलब्ध मित्र कीट, लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु तथा पोषक तत्वों की गम्भीर क्षति होती है, इससे निकलने वाले धुएँ की घातक गैसों से पर्यावरण भी दूषित होता है। पराली व नरवाई का उचित प्रबन्धन सम्भव है। अतः समस्त कृषक बन्धु वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंशित तकनीक का उपयोग कर पराली व नरवाई का प्रबन्धन कर सकते हैं –

नरवाई जलाने के दुष्परिणाम

- गेहूँ फसल की कटाई के पश्चाात् किसान भाईयों द्वारा फसल अवशेष– पराली व नरवाई में आग लगा दी जाती है जिससे प्रदूषण बढता है।
- नरवाई में आग लगाने से फसल अवशेष में उपलबध पोषक तत्व नष्ट हो जाते है।
- भूमि की ऊपरी सतह पर पायें जाने वाले मित्र जीव– केंचुऑ और लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते है।
- भूमि की उर्वरा शक्ति बुरी तरह प्रभावित होती है।
- दुर्घटना होने की सम्भावना होती है।
- भूमि की जलधारण क्षमता कम होती है।
- फसल अवशेष जलाने से वायुमण्डल और भूमि का तापमान बढ़ता है और पर्यावरण प्रभावित होता है।

नरवाई प्रबन्धन

- फसल कटाई उपरान्त रोटावेटर/मल्चर से खेत की जुताई करें।
- जुताई उपरान्त बायो वेस्ट डी – कम्पोजर का उपयोग करें।
  - फसल अवशेषों का विघटन कर खाद में परिवर्तित कर देते हैं।
  - सभी प्रकार के फसल अवशेषों पर प्रभावी।
  - खाद बनाने के आवश्यक मानकों की अवश्यकता नही।
  - 01 लीटर बायो वेस्ट डी कम्पोजर को 10 लीटर पानी में घोल कर छिडकाव किया जाता है।

नरवाई प्रबन्धन के लाभ

- भूमि की जलधारण क्षमता में वृद्धि।
- फसलों में आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता।
- पर्यावरण संरक्षण।
- मृदा स्वास्थ्य बनाये रखनें में सहायक।

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें–

सी. आर. डी. ई. कृषि विज्ञान केन्द्र, सेवनियॉ, जिला– सीहोर (म. प्र.)

दूरभाष कार्यालय– 07489–763338,